प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति और**
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 1024/1996

बसंत कुमार

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक : 27.07.2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 1024/1996

बसंत कुमार, पिता डोमा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी तलपारा, सिविल लाइंस, बिलासपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

...प्रत्यर्थी

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्रीमती सविता तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्री जे.ए. लोहानी, राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता

निर्णय

(27/07/2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त किया गया -

(1) यह अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्र. 88/1995 में दिनांक 22 अप्रैल, 1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध है।

(2) आक्षेपित निर्णय के तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया है।

(3) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

मृतका देवकुमारी अपीलार्थी की पत्नी थीं। वे बिलासपुर के मोहल्ला तालापारा में शौकतलाल के किराए के मकान में रहते थे। दिनांक 01-11-1994 को सुबह लगभग 6 बजे मृतका गंभीर रूप से जल गईं। जब वे जल रही थीं, तब उनके पड़ोसी सुभाष दास (अ.सा. 6) और सौखिलाल (अ.सा. 7) उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने किसी तरह आग बुझाई। मृतका ने अपनी मृत्युकालिक कथन में कहा कि उसके पति (अपीलार्थी) ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाया था और वह भाग गया। मृतका को

उसके मकान मालिक शौकतलाल अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉ. आर.जे.पी. वर्मा (अ.सा. 9) ने उसकी जाँच की और पाया कि मृतका 80 से 90% तक जल गई थी। जलने का मामला होने के कारण, उन्होंने चोट रिपोर्ट में उल्लेख किया कि मरीज के स्वयं के कथन के अनुसार, उसे उसके पति ने जलाया था। चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है। डॉ. आर.जे.पी. वर्मा (अ.सा. 9) ने तब संबंधित पुलिस को एक ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) भेजा। उक्त ज्ञापन में भी उन्होंने उल्लेख किया कि मृतका को उसके पति ने जलाया था और उसे अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। विवेचना अधिकारी बर्न यूनिट पहुंचे। वहां मृतक ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर प्रदर्श पी-7) दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उसने बताया कि उसके पति ने उसे आग लगाई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका अंगूठे का निशान भी है। सुभाष दास (अ.सा. 6) भी मृतका की आग बुझाने के दौरान झुलस गए थे। उन्हें चिकित्सकीय जाँच के लिए भी भेजा गया। डॉ. शेखर चटर्जी (अ.सा.-1) ने उनकी जांच की और उनके हाथों पर जलने के निशान पाए। उनकी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) है। मृतका की मृत्यु दिनांक 5-11-1994 को उपचार के दौरान हुई। मृत्यु की सूचना पुलिस को दी गई। मृतका के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) तैयार की गई। डॉ. रामकिशन जीतपुरा, अ.सा. 3, सहित दो डॉक्टरों की एक टीम ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और बताया कि मृत्यु का कारण गंभीर जलने की चोटों के कारण सेप्टीसीमिया के साथ सदमा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है। अपीलार्थी ने अपने अन्यत्र होने का अभिवाक किया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने मृत्युकालिक दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, अन्यत्र होने के अभिवाक को स्वीकार नहीं किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध किया और दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क दिया कि मृत्युकालिक कथन संदिग्ध हैं, इसलिए मृत्युकालिक कथनों के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों को विस्तार से सुनी है और सत्र न्यायालय के मामले के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(7) सुभाष दास (अ.सा.-6) ने परिसाक्ष्य दिया कि उस घटना वाले दिन वह अपने घर में सो रहा था। सुबह लगभग 6 बजे उसने मृतका के चीखने की आवाज सुनी। वह अपने घर से बाहर आया और देखा कि मृतका जल रही थी। बबलू, वकील और सौकीलाल भी वहां आए। उन्होंने आग बुझाई। मृतका ने उनके समक्ष कथन दिया कि उसके पति ने उसे जलाया था। उसका पति उस समय वहां उपस्थित नहीं था। इसके बाद मकान मालिक मृतका को अस्पताल ले गया। आग बुझाने के दौरान उसे भी चोटें आई थीं और अस्पताल में उसका उपचार किया गया।

(8) सौकीलाल (अ.सा. 7) शौकतलाल का एक अन्य किरायेदार था। उसने परिसाक्ष्य दिया कि सुबह लगभग 5-6 बजे उसने अपीलार्थी की पत्नी की *"बचाओ" "बचाओ"* जैसी चीखें सुनीं। वह चिल्ला रही थी कि उसका पति उसे आग लगाकर भाग गया है। वह अपने घर से बाहर आया और देखा कि मृतका जलती हुई अवस्था में अपने घर से बाहर आई थी। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया।

(9) देवीलाल (अ.सा. 2) मृतका का भाई है। उस समय वह हरियाणा में काम कर रहा था। वह 5-11-1994 को बिलासपुर आया। उसकी बुआ नन्ही देवी ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसकी बहन को जला दिया है और उसे बिलासपुर के *धर्म अस्पताल* (शासकीय अस्पताल) में भर्ती कराया गया है। इसके पश्चात्, वह *धर्म अस्पताल* गया और अपनी बहन (मृतका) से मिला, जिसने मृत्युकालिक कथन में कहा कि अपीलार्थी ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। शाम को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

(10) उपरोक्त गवाहों के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर, हम पाते हैं कि मृतका ने सबसे पहले सुभाष दास (अ.सा. 6) और सौकीलाल (अ.सा. 7) के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया। वे मृतका के पड़ोसी थे। सौकीलाल (अ.सा. 7) मृतका के मकान मालिक के एक अन्य किराए के मकान में रहता था, जो मृतका के घर के निकट ही रह रहा था। सुभाष दास (अ.सा. 6) भी मृतक के घर के पास ही रहते थे। सुभाष दास (अ.सा. 6) और सौकीलाल (अ.सा. 7) ने स्पष्ट शब्दों में कथन दिया है कि मृतका ने उनके समक्ष मृत्युकालिक मौखिक कथन दिया था और यह भी कहा था कि अपीलार्थी ने उसे आग लगाकर भाग गया था। सुभाष दास (अ.सा. 6) ने दावा किया कि उन्होंने आग बुझाई थी। उनके हाथों पर जलने के निशान थे। प्रथम मृत्युकालिक कथन देने वाले इन दोनों गवाहों और अस्पताल में द्वितीय मृत्युकालिक कथन देने वाले अन्य गवाह देवीलाल (अ.सा. 2) से बचाव पक्ष ने लंबा प्रतिपरीक्षा किया, लेकिन बचाव पक्ष उनके साक्ष्यों में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं ला सका, जिसके आधार पर या तो उनके बयानों को खारिज किया जा सके या यह कहा जा सके कि वे अपीलार्थी को झूठा फंसा रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) ***मुन्नू राजा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर, 1976 एससी 2199*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां पुलिस के समक्ष कथन देने के पश्चात् पीड़ित अपनी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जा सकता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत ग्राह्य है।

(12) इस मामले में, मृतका द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट में, उसने अपीलार्थी के कृत्य के संबंध में स्पष्ट अभिकथन किये थे। दिनांक 5-11-1994 को उसकी मृत्यु के पश्चात्, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय मृतका द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत ग्राह्य है। बचाव पक्ष मृतका द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के उपरोक्त साक्ष्य के विरुद्ध कोई संदेह उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रहा है।

(13) डॉ. आर.जे.पी. वर्मा (अ.सा. 9) ने अस्पताल में सर्वप्रथम मृतका का उपचार किया था। उन्होंने मृतका की एमएलसी रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है कि स्वयं मरीज के कथन के अनुसार, उसे उसके पति द्वारा जलाया गया था। पुलिस को भेजी गई सूचना (प्रदर्श पी-12) में भी उन्होंने उल्लेख किया है कि मरीज के अनुसार, उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाया था।

(14) शलिकराम (ब.सा. 1) और दिगमवार (ब.सा. 2) से अन्यत्र होने के अभिवाक को सिद्ध करने के लिए परीक्षण कराया गया। शलिकराम (ब.सा. 1) *कबाड़ी* का काम करता था। उसके अनुसार, अपीलार्थी उससे *कबाड़* खरीदने के लिए एक *ठेला* और 100 रुपये लिया करता था। दिनक 1-11-1994 को सुबह लगभग 5 बजे, अपीलार्थी उसकी दुकान पर आया और एक *ठेला* ले गया। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसकी दुकान सुबह 7 बजे खुलती थी और सभी मजदूर सुबह 5-6 बजे के बीच दुकान पर आ जाते थे। जब दुकान स्वयं सुबह 7 बजे खुलती थी, तो वह कैसे बता सकता है कि अपीलार्थी सुबह 6-6:30 बजे उसकी दुकान पर उपस्थित था? दिगमवार (ब.सा. 2) भी अपीलार्थी की तरह शालिकराम (ब.सा. 1) के साथ काम करता था। *शालिकराम (ब.सा. 1)* द्वारा कंडिका 4 में यह स्वीकार करने के कारण कि वह अपनी *कबाड़ी* की दुकान सुबह 7 बजे खोलता था, दिगमवार का साक्ष्य भी अविश्वसनीय हो जाता है। माननीय सत्र न्यायाधीश ने संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् मृतका के उपरोक्त मृत्युकालिक कथनों के आधार पर उसके *अन्यत्र होने के अभिवाक* को अस्वीकार कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों पर सम्यक विचार करने के पश्चात्, हमें सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय और निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिलती है कि अपीलार्थी *अन्यत्र होने के अभिवाक* का बचाव साबित नहीं कर सका और मृतका द्वारा अलग-अलग समय पर दिए गए तीन मृत्युकालिक कथनों के आलोक में यह स्वीकार्य नहीं था। हमारा यह मत है कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर, माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्दी में पूर्णतः न्यायसंगत निर्णय लिया था।

(16) अतः, अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।
Translated By - ब्रजेश कुमार तिवारी